रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 19, 1995/भाद्र 28, 1917
No. 385] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 19, 1995/BHADRA 28, 1917

जलभूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1995

सा.का.नि. 646 (अ) :—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव मंगलूर पत्तन न्यास मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति पश्चात् अंशदायी बाह्य और अंतरंग चिकित्सा प्रसुविधा) संशोधन विनियम 1995 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति पश्चात् अंशदायी बाह्य और अंतरंग चिकित्सा प्रसुविधा) संशोधन विनियम, 1995 ।

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नव मंगलूर पत्तन न्यास का न्यासी मंडल, सा.का.नि. सं. 312 (अ) में दिनांक 21 जून 1991 को भारत सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति पश्चात् अंशदायी बाह्य और अंतरंग

चिकित्सा प्रसुविधा) विनियम 1991 का निम्नलिखित संशोधन करता है, बशर्ते कि उक्त अधिनियम की धारा 124 के तहत केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो ।

1. (i) यह विनियम नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति पश्चात् अंशदायी बाह्य और अंतरंग चिकित्सा प्रसुविधा) संशोधन विनियम 1995 कहा जाएगा ।

(ii) ये विनियम, उनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति पश्चात् अंशदायी बाह्य और अंतरंग चिकित्सा प्रसुविधा) विनियम, 1991 के अंश 2(ग) में निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किया जाएगा ।

"बशर्ते कि एक माह या तीन माह, जैसी स्थिति हो, की उक्त समय सीमा के संबंध में उचित तथा पर्याप्त कारण लिखित रूप में देने पर अध्यक्ष द्वारा ढील दिया जा सकता है ।

[फा.सं. पी.आर.–12016/49/94–पीई-I]

सी.एस. खैरवाल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : —

मूल विनियम भारत के राजपत्र सा.का.नि. सं. 312 (अ) दिनांक 21 जून 1991 में प्रकाशित हैं और उसके बाद के संशोधन निम्न प्रकार हैं

(i) सा.का.नि. सं 879 (अ) दिनांक 17-11-1992 को प्रकाशित ।

(ii) सा.का.नि. सं. 50(अ) दिनांक 1-2-1994 को प्रकाशित ।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(PORTS WING)

NOTIFFICATION

New Delhi, the 19th September, 1995

G.S.R. 646(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 124 read with Sub-Section (1) of section 132 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Govt. hereby approves the New Mangalore Port Trust Employees (Contributory Outdoor and Indoor Medical Benefit After Retirement) Amendment Regulations, 1995 made by the Board of Trustees for the Port of New Mangalore and as set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the offical Gazette.

SCHEDULE

New Mangalore Port Trust Employees (Cntributory Outdoor and Indoor Medical Benefit after Retirement) Amendment Regulations, 1995

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Majer Port Trust Act, (38 of 1963), the New Mangalore Port Trust Board hereby makes subject to approval of he Central Govt. under Section 124 of the above Act, the following amendment to the New Mangalore Port Trust Employees (Cotributory Outdoor and Indoor Medcal Benefit After Retirement) Regulations 1991, published as GSR 312(E) in the Gazette of India, Extraordinary, dated 21st June 1991.

1. (i) These Regulations may be called the New Mangalore Port Trust Employees (Contributory Outdoor and Indoor Mdical Benefit after Retirement) Amendment Regulations 1995.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the New Mangalore Port Trust Employees (Contributory Outdoor and Indoor Medical Benefit after Retirement) Regulatios 1991, the following proviso shall be added below clause 2(C).

"Provided the above time limit of one month or three months as the case may be relaxed by the Chairman for good and sufficient cause to be recorded in writing".

[F. No. PR-12016|49|94-PE-I]

C. S. KAIRWAL, Jt. Secy.

Foot Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide G.S.R. No. 312(E) dated 21-6-91 and subsequently amended vide

(i) G.S.R. No. 879(E) dated 17-11-92

(ii) GS.R. No. 50(E) dated 11-2-94.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995